भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2462

11 **अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत किफायती आवासों की कमी

2462 **श्री विवेक के. तन्खाः**

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवीनतम सरकारी आंकड़ों या सर्वेक्षणों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में किफायती आवासों की अनुमानित कमी या मांग कितनी-कितनी है;

(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक, संस्वीकृत, निर्मित और पूर्ण हुए आवासों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या "सभी के लिए आवास" की वर्ष 2022 की प्रारंभिक समय-सीमा को संशोधित किया गया है, और यदि हाँ, तो संशोधित लक्ष्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आवासों की किफायत, झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या में कमी और सामाजिक-आर्थिक समावेशन के संबंध में पीएमएवाई-यू का कोई प्रभाव आकलन किया गया है; और

(ङ) क्या पीएमएवाई-यू का विस्तार करने, इसमें सुधार लाने या इसे प्रतिस्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, आवास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। किफायती आवास की अनुमानित कमी और मांग का समाधान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है और इसका रखरखाव केंद्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत देश भर के पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 04.08.2025 तक, इस मंत्रालय द्वारा कुल 112.16 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 93.75 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत

स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र -वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए पीएमएवाई-यू की योजना अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

नीति आयोग द्वारा पीएमएवाई-यू सहित सभी केंद्रीय शहरी योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। सीएलएसएस घटक का मूल्यांकन भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किया गया है।

पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराये पर लेने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। इस योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध हैं । अब तक, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 7.15 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

दिनांक 11-08-2025 के राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2462 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- ।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों का विवरण (संख्या)	
			स्वीकृत	पूर्ण आवास
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,06,887	10,83,601
2		बिहार	2,91,422	1,90,041
3		छत्तीसगढ	2,87,016	2,57,265
4		गोवा	3,146	3,145
5		गुजरात	9,72,842	9,41,553
6		हरियाणा	1,15,034	70,551
7		हिमाचल प्रदेश	12,640	11,391
8		झारखंड	2,29,156	1,59,958
9		कर्नाटक	5,84,086	3,94,153
10		केरल	1,61,957	1,34,208
11		मध्य प्रदेश	9,46,592	8,69,176
12		महाराष्ट्र	12,11,085	9,94,157
13		ओडिशा	2,03,380	1,64,907
14		पंजाब	1,20,990	97,992
15		राजस्थान	2,97,528	2,36,162
16		तमिलनाडू	6,70,425	6,07,125
17		तेलंगाना	2,48,074	2,23,627
18		उत्तर प्रदेश	17,76,823	17,04,755
19		उत्तराखंड	63,605	43,105
20		पश्चिम बंगाल	6,15,105	4,65,657
उप-योग (राज्य) :-			**1,07,17,793**	**86,52,529**
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8,068	8,068
22		असम	1,69,626	1,31,774
23		मणिपुर	52,519	18,485
24		मेघालय	4,758	2,024

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों का विवरण (संख्या)	
			स्वीकृत	पूर्ण आवास
25		मिजोरम	39,150	27,019
26		नागालैंड	31,067	29,089
27		सिक्किम	299	219
28		त्रिपुरा	90,989	78,257
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य) :-			**3,96,476**	**2,94,935**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	376	80
30		चंडीगढ़	1,256	1,256
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9,947	9,450
32		दिल्ली	29,976	29,976
33		जम्मू और कश्मीर	42,584	32,399
34		लद्दाख	1,283	882
35		लक्षद्वीप	-	-
36		पुदुचेरी	15,995	11,398
उप-योग (यूटी) :-			**1,01,417**	**85,441**
कुल योग :-			**112.16 लाख**	**93.75 लाख***

* इसमें पीएमएवाई-यू मिशन अवधि के दौरान पूरे किए गए पूर्ववर्ती योजना से संबंधित 3.41 लाख आवास शामिल हैं।

दिनांक 11-08-2025 के राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2462 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- II

पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत आवासों का विवरण (संख्या)
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	40,502
2		बिहार	1,53,791
3		छत्तीसगढ	12,991
4		गोवा	5
5		गुजरात	22,292
6		हरियाणा	15,306
7		हिमाचल प्रदेश	2
8		झारखंड	14,269
9		कर्नाटक	28
10		केरल	7
11		मध्य प्रदेश	20,149
12		महाराष्ट्र	39,353
13		ओडिशा	11,961
14		पंजाब	12,409
15		राजस्थान	37,322
16		तमिलनाडु	61
17		तेलंगाना	1,13,721
18		उत्तर प्रदेश	1,98,666
19		उत्तराखंड	28
20		पश्चिम बंगाल	129
उप-योग (राज्य) :-			**6,92,992**
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	5,311
22		असम	15,366
23		मणिपुर	-
24		मेघालय	-
25		मिजोरम	-
26		नागालैंड	-
27		सिक्किम	-
28		त्रिपुरा	-

उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य) :-			**20,677**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-
30		चंडीगढ़	9
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	13
32		दिल्ली	183
33		जम्मू और कश्मीर	1,272
34		लद्दाख	-
35		लक्षद्वीप	-
36		पुदुचेरी	452
उप-योग (यूटी) :-			**1,929**
कुल योग :-			**7,15,598**
